उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या- आडिट-1- 73253/10-24099/524/2021-3-17/2021
लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2021

कार्यालय-आदेश

रिट याचिका संख्या-4277(एस/एस)/2021 जगदीश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"The liberty is given to the petitioner to prefer a fresh representation to the opposite party No.2 i.e. Sachiv, Finance (Audit), Section-1, Government of U.P., Lucknow taking all pleas and grounds which are available with him annexing therewith all the relevant documents in support of his case within a period of one week and if such representation is preferred by the petitioner within the aforesaid stipulated time, the opposite party No.2 shall consider and decide the representation of the petitioner by passing a speaking and reasoned order, strictly in accordance with law and as per the guidelines of the aforesaid transfer policy ignoring the order dated 21.01.2021 with expedition preferably within a period of three weeks from the date of presentation of a certified copy of this order along with representation and the decision thereof be communicated to the petitioner forthwith.

In view of the aforesaid terms, the writ petition is disposed of finally."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 18.02.2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी को स्थानान्तरित करते हुए जनपद अम्बेडकरनगर में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

3- सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी का अतिरिक्त कार्यभार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा देखा जायेगा तथा उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

4- श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-आडिट-1-73253/10-24099/524/2021-3-17/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in